राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 19/2024 निगरानी

1. शंकर पुत्र जीतु कुम्हार निवासी सराणा तह–माण्डलगढ जिला भीलवाडा 2. भगवान पुत्र शंकर कुम्हार निवासी सराणा तह–माण्डलगढ जिला भीलवाडा 3. गोपाल पुत्र शंकर कुम्हार निवासी सराणा तह–माण्डलगढ जिला भीलवाडा 4. कालु आत्मज शंकर कुम्हार निवासी सराणा तह–माण्डलगढ जिला भीलवाडा **–निगराकार**	**बनाम**	1. श्यामलाल पुत्र नन्दा कुम्हार निवासी सराणा तह–माण्डलगढ जिला भीलवाडा 2. भैरूलाल पुत्र नन्दा कुम्हार निवासी सराणा तह–माण्डलगढ जिला भीलवाडा 3. कमला देवी पुत्री नन्दा कुम्हार निवासी सराणा तह–माण्डलगढ जिला भीलवाडा 4. ग्राम पंचायत सराणा जरिए सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत माण्डलगढ जिला भीलवाडा **–गैर निगराकार**

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतराज अधिनियम 1994
विरूद्ध ग्राम पंचायत सराणा द्वारा जारी पट्टा संख्या 36, दिनांक 9–12–2004

उपस्थित – 1. श्री राकेश जैन, अधिवक्ता निगराकार
2. श्री आर0सी सारस्वत, गैर निगराकार–1 से 3 अधिवक्ता
3. श्री के0सी काष्ट, गैर निगराकार–4 अधिवक्ता

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक:– 06/04/2026

निगराकार अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी अनुसार ग्राम पंचायत सराणा द्वारा विपक्षी संख्या 1 से 3 के पिता श्री नन्दा आत्मज श्री मोडा जी कुम्हार के पक्ष में पट्टा संख्या–36 दिनांकित 09/12/2004 जारी किया गया, जिसके पडौस पूर्व नन्दा का बाडा, पश्चिम –आम रास्ता, उत्तर – आम रास्ता, दक्षिण –शंकर का बाडा। प्रश्नगत पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने से अपास्त होने योग्य है। उक्त जायदाद को आगे वादग्रस्त जायदाद से सम्बोधित किया जायेगा। ग्राम सराणा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा के अन्दर हल्के आबादी निगराकारान के स्वामित्व व आधिपत्य की एक आवासीय जायदाद नपती 1400 वर्गफीट अवस्थित है, जिस पर निगराकारान बहैसियत मालिकाना हक से काबिज हो आज पर्यन्त निरन्तर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। उक्त आवासीय जायदाद में आवागमन हेतु उक्त आवासीय जायदाद की उत्तर दिशा में निगराकारान का दरवाजा लगा हुआ है, जिससे निगराकारान अपनी जायदाद में मुख्य रास्ते से होकर आवागमन करते हैं, जिसका निगराकारान को पूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त है। विपक्षी संख्या–4 ने विधि विरूद्ध तरीके से निगराकारान की जायदाद में आवागमन हेतु उपलब्ध रास्ते की

6-4-26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

भूमि का पट्टा विपक्षी संख्या–1 से 3 के पूर्वाधिकारियों के नाम पर जारी कर दिया, जो सर्वथा विधि विरुद्ध है, क्योंकि रास्ते की भूमि पर कानूनन पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। विपक्षी संख्या–1 से 3 उक्त तथाकथित अवैध पट्टे की आड में निगराकारान की जायदाद के उत्तरी दिशा में स्थित दरवाजे से आवागमन के रास्ते पर अवैध तौर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करवाने हेतु आमादा है, जिसका विपक्षी संख्या–1 से 3 को कोई अधिकार नहीं है। विपक्षी संख्या 1 से 3 के पूर्वाधिकारी नन्दा आत्मज मोड़ा जी कुम्हार के पक्ष में जारी किया गया, उक्त तथाकथित पट्टा विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उक्त वादग्रस्त जायदाद सार्वजनिक भूमि है. जिसका सार्वजनिक रूप से ही ग्रामवासियों द्वारा उपयोग उपभोग किया जा रहा है। विपक्षी संख्या–1 से 3 व उसके पूर्वाधिकारी का उक्त वादग्रस्त जायदाद पर कभी कोई आधिपत्य नहीं रहा है। विपक्षी संख्या 1 से 3 व उसके पूर्वाधिकारी द्वारा उक्त सार्वजनिक भूमि पर अवैध तौर अतिक्रमण करने पर उतारू हुए तो ग्रामवासियान द्वारा भी शिकायत की गयी। सार्वजनिक उपयोग की भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा कानूनन जारी नहीं किया जा सकता है, जिससे की उक्त तथाकथित पट्टा अपास्त होने योग्य है। उक्त तथाकथित पट्टे में काट–फांस हो रखी है, जिससे भी उक्त तथाकथित पट्टा संदेहास्पद हो निस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त तथाकथित पट्टा जारी किये जाने से पूर्व कोई पत्रावली कायम नहीं की गयी। विपक्षी संख्या–4 द्वारा किसी विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया एवंत ही कोई आपत्तियां ही आमंत्रित की गयी। विपक्षी संख्या 4 ने कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना केवल मात्र विपक्षी संख्या–1 से 3 के पूर्वाधिकारी नन्दा जी को अनुग्रहित्त करने के दुराशय से उक्त तथाकथित पट्टा जारी किया है, जो अवैध होने से निरस्तनीय है। विपक्षी संख्या–4 ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 140 से 160 में अंकित प्रावधानों एवं औपचारिकताओं का पालन किये बिना विपक्षी संख्या–1 से 3 के पूर्वाधिकारी को नाजायज लाभ पहुंचाने की गरज से नियमों के विपरित जाकर उक्त तथाकथित पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। निगराकारान को उक्त तथाकथित पट्टे की जानकारी होने पर निगराकारान ने उक्त तथाकथित पट्टे की जांच हेतु विपक्षी संख्या–4 के कार्यालय में कई मर्तबा नकलों हेतु चक्कर लगाये, किन्तु उनके द्वारा नकले उपलब्ध नहीं करवायी गयी, जिस पर निगराकार गोपाल ने सूचना के अधिकार के तहत नकल हेतु आवेदन किया, जिस पर दिनांक 16/04/2023 को पट्टे की नकल तो उपलब्ध करवा दी गयी, किन्तु मूल पत्रावली कार्यालय में नहीं होना जाहिर किया, जिससे यह निगरानी मिलने नकल से अविलम्ब प्रस्तुत है। अतः प्रश्नगत पट्‌टा निरस्त फरमावें।

निगरानी प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए।

विपक्षी संख्या 1 से 3 की ओर से लिखित बहस पेश जिस अनुसार वर्णित पट्टा सं. 36 नन्दा पिता मोडा कुम्हार के पक्ष में जारी किया जाना स्वीकार है किन्तु यह तथ्य गलत अंकित किया गया है कि उक्त पट्टा पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत जारी किया गया हो। पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानो की पालना की गई है। नन्दा जी को पट्टा दिनांक 09.12.2004 को जारी किया गया, इसके लगा हुआ पट्टा निगराकार शंकरलाल को सन–2009 में जारी हुआ है जिसके पडौस में विपक्षी सं. 01 के बाड़े का पडौस अंकित है। इस प्रकार यह तथ्य स्थापित है कि निगराकार को अपने जारी पट्टा दिनांक सन् 2009 में ही विपक्षी सं. 01 के पक्ष में जारी पट्टे की सम्पूर्ण जानकारी थी ऐसी स्थिति में करीब 16 वर्ष तक निगराकार ने उक्त पट्टे के सम्बंध में कोई आपत्ति उजर, ऐतराज पेश नही किया, इससे यह प्रमाणित है कि विपक्षी सं. 01 के पूर्वजो के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 09.12.2004 बाबत निगराकार की सहमति थी। एवं विपक्षी की जायदाद निगराकार के मकान के पडौस उत्तर दिशा में स्थित होना स्वीकृत तथ्य है।

निगरानी में निगराकार ने अपने स्वामित्व व आधिपत्य का एक आवासीय जायदाद वर्णित किया है जिसके आवागमन हेतु उत्तर दिशा में कोई रास्ता न होकर पश्चिम दिशा में रास्ता है जबकि उत्तर दिशा में विपक्षीगण

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.) न्यायालय

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

की पुश्तैनी जायदाद है। उत्तर दिशा में निगराकार का कोई दरवाजा नही होकर मुख्य रास्ता पश्चिम दिशा में है। उत्तर दिशा में विपक्षीगण की पुश्तैती जायदाद होने से उसका पट्टा ग्राम पंचायत ने दिनांक 09.12.2004 को जारी किया है जो उनके स्वामित्व की जायदाद बाबत् है। विपक्षीगण को जारी पट्टे में कोई रास्ते की भूमि नहीं है और न ही निगराकार का कोई रास्ता तथा दरवाजा लगा हुआ है बल्कि विगत 60–70 वर्षों से भी अधिक समय से विपक्षीगण के पूर्वजो का पुश्तैनी हक, अधिकार उत्तरी दिशा में हमेशा रहा है। निगराकार का प्रवेश बाबत् दरवाजा व रास्ता पूर्वी दिशा में स्थित है। इस आधार पर विपक्षीगण के पक्ष में जारी किया गया पट्टा कतई विधि विरूद्ध नही है। सार्वजनिक भूमि पर विपक्षीगण का कोई अवैध अतिक्रमण नही है और न ही ग्रामवासियान द्वारा भी कोई शिकायत की गई है। पट्टा जारी होने के समय पंचायत द्वारा आपत्ति पत्र आमंत्रित किये गये थे तब भी निगराकार या ग्रामवासियान द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही हुई है जारी किया गया पट्टा कतई अपास्त होने योग्य नहीं है। विपक्षीगण के पक्ष में जारी किया गया पट्टा कतई संदेहास्पद नहीं है। पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली कायम की गई है और समस्त विधिक प्रक्रिया का पालन कर आपत्तियां आमंत्रित की गई है। नन्दा जी के पक्ष में जारी किया गया पट्टा उनके पुश्तैनी जायदाद बाबत् जारी हुआ है जो कतई अवैध नहीं है। नियम 140 से 160 में अंकित प्रावधानो की पालना की गई है। विपक्षीगण के पूर्वज नन्दा जी को नाजायज लाभ पहुंचाने का कोई कार्य नही किया गया है। निगराकार द्वारा नकलें उपलब्ध कराने बाबत् कोई प्रयास नहीं किया गया और पत्रावली उपलब्ध नही होने का तथ्य मनगढत अंकित है। विपक्षीगण की और से बहस में यह सादर निवेदन है कि न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय, माण्डलगढ जिला भीलवाडा के समक्ष विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र पेश कर अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रकरण सं. 18/2022 प्रस्तुत किया था जिसमें माननीय सिविल न्यायालय ने विपक्षीगण के प्रकरण को प्रथम दृष्टया सही मानते हुए और वादग्रस्त भूखण्ड पर विपक्षीगण का स्वामित्व, कब्जा, उपयोग उपभोग मानकर उसमें किये जा रहे निर्माण कार्य में निगराकारान द्वारा दखलअन्दाजी नहीं करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है। निगराकार शंकर पिता धीसु कुम्हार द्वारा अपने भूखण्ड सं. 15 जो दिनांक 20.06.2009 को पट्टा पर प्राप्त हुआ है के बाबत् दीवानी वाद न्यायालय सिविल जज साहब, माण्डलगढ में विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है जो मुकदमा सं. 30/2022 से विचाराधीन है। इस प्रकरण में सिविल न्यायालय द्वारा कोई राहत निगराकार को प्राप्त नही हुई इस कारण यह निगरानी न्यायालय श्रीमान् में पेश की गई है। इस विचाराधीन भूखण्ड बाबत् सक्षम सिविल न्यायालय माण्डलगढ़ में प्रकरण सं. 30/2022 व 18/2022 विचाराधीन है जिसमें पक्षकारान के दीवानी अधिकारो का अन्तिम विनिश्चय किया जायेगा। ऐसी स्थिति में विचाराधीन निगरानी में निगराकार कोई राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उक्त प्रकरण पक्षकारान के मध्य दीवानी अधिकारो के विनिश्चय बाबत् है। प्रार्थीगण अपने वादग्रस्त जायदाद के उत्तर दिशा में तथाकथित स्थित आमरास्ते के अधिकारो का विनिश्चय चाहते है जो निगरानी के जरिये प्राप्त करने का अधिकारी नही है। विपक्षीगण के पूर्वजो को आवासीय भूखण्ड का पट्टा सन–2004 में जारी हुआ है जो निगराकार के जारी किये गये पट्टे सन् 2009 से पूर्व का है। इस प्रकार सन–2009 में ही निगराकारान को विपक्षीगण के पूर्वजो के पक्ष में जारी किये गये पट्टे की जानकारी हो चुकी थी ऐसी स्थिति में अनावश्यक देरी से पेश की गई यह निगरानी चलने योग्य नहीं है। आशय यह है कि विगत 16 वर्षों से निगराकारान इस जारी किये गये पट्टे से सहमत थे, अनावश्यक अपने दीवानी अधिकारो को स्थापित करने के लिये जरिये निगरानी विपक्षीगण पर दबाव बनाना चाहते है जो चलने योग्य नहीं है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि निगरानी निगराकारान अधारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

गैर निगराकार–4 अधिवक्ता अनुसार ग्राम पंचायत की उक्त पत्रावली कार्यालय ग्राम पंचायत सराणा में नही किन्तु पट्टा द्वितीय प्रति व राशि जमा की गई है जिस हेतु रोकड बही की प्रमाणित प्रतियां पंचायत के पत्र 36/10.06.2025 अनुसार संलग्न है। एज पर लॉ निर्णय पारित करने की कृपा करावें।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

6-4-26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि गैर निगराकार को पट्टा विहित प्रक्रिया अनुसार जारी किया गया है, इस आधार निगरानी अस्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम मियाद बाहर होने व सारहीन होने के आधार पर अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6-4-26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा